छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय,
नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 18 MAR 2016

क्रमांकः एफ 21/07/2015/13/2/ऊविः यतः, राज्य शासन की यह राय है कि औद्योगिक नीति 2014–19 के अंतर्गत राज्य में नवीन औद्योगिक इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये जनहित में यह आवश्यक हो गया है कि ऐसे नवीन उद्योगों को विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट दी जाये;

अतएव, छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र. 10 सन् 1949) की धारा 3–ख सहपठित छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2014–19 के खण्ड 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु पात्र उद्योगों को, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित कालावधि के लिये, इनके स्वयं की इकाई द्वारा उपभोग की गई विद्युत पर विद्युत शुल्क के भुगतान से, छूट प्रदान करती है;

सारणी

(क) सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग (संतृप्त श्रेणी/अपात्र उद्योगों को छोड़कर)

स. क्र.	क्षेत्र	निवेशक का संवर्ग	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	औद्योगिक नीति के अनुसार औद्योगिक रुप से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट 4 देखिये)	अ) सामान्य वर्ग.	5 वर्ष	7 वर्ष	अधिसूचना के खण्ड 3.9 के अनुसार
		ब) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग.	10 वर्ष	10 वर्ष	
		स) महिला उद्यमी, भारतीय सशस्त्र बल/अर्द्ध सैनिक बल से राज्य के सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार, अप्रवासी भारतीय (एन आर आई), प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ डी आई), निर्यातक उद्योग, विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले निवेशक.	6 वर्ष	8 वर्ष	

स. क्र.	क्षेत्र	निवेशक का संवर्ग	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	औद्योगिक नीति के अनुसार औद्योगिक रुप से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट 5 देखिये)	अ) सामान्य वर्ग.	7 वर्ष	10 वर्ष	अधिसूचना के खण्ड 3.9 के अनुसार
		ब) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग.	10 वर्ष	12 वर्ष	
		स) महिला उद्यमी, भारतीय सशस्त्र बल/अर्द्ध सैनिक बल से राज्य के सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार, अप्रवासी भारतीय (एन आर आई), प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ डी आई), निर्यातक उद्योग, विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले निवेशक.	8 वर्ष	11 वर्ष	

(ख) मेगा प्रोजेक्ट्स, अल्ट्रामेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर)

स. क्र.	क्षेत्र	निवेशक का संवर्ग	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	औद्योगिक नीति के अनुसार औद्योगिक रुप से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट 4 देखिये)	अ) सामान्य वर्ग	8 वर्ष	8 वर्ष	अधिसूचना के खण्ड 3.9 के अनुसार
		ब) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग	10 वर्ष	10 वर्ष	
		स) महिला उद्यमी, भारतीय सशस्त्र बल/अर्द्ध सैनिक बल से राज्य के सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार, अप्रवासी भारतीय (एन आर आई), प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ डी आई), निर्यातक उद्योग, विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले निवेशक	9 वर्ष	9 वर्ष	

स. क्र.	क्षेत्र	निवेशक का संवर्ग	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	औद्योगिक नीति के अनुसार औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट 5 देखिये)	अ) सामान्य वर्ग	10 वर्ष	10 वर्ष	अधिसूचना के खण्ड 3.9 के अनुसार
		ब) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग	12 वर्ष	12 वर्ष	
		स) महिला उद्यमी, भारतीय सशस्त्र बल/अर्द्ध सैनिक बल से राज्य के सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार, अप्रवासी भारतीय (एन आर आई), प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ डी आई), निर्यातक उद्योग, विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले निवेशक।	11 वर्ष	11 वर्ष	

टीपः— केप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्रों वाले उद्योगों में केवल केप्टिव विद्युत उपभोग पर ही विद्युत शुल्क की छूट प्राप्त होगी।

1. सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद औद्योगिक इकाईयों, मेगा प्रोजक्ट तथा अति—वृहद (अल्ट्रा मेगा) प्रोजेक्ट्स उद्योगों, जिसने नियत दिनांक 01/11/2014 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु वैध ई.एम. पार्ट 1/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस धारित किया हो अथवा राज्य शासन के साथ एमओयू निष्पादित किया हो एवं एमओयू जीवित हो किंतु औद्योगिक नीति 2009—2014 की कालावधि समाप्त होने अर्थात् 31 अक्टूबर 2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नही किया हो, उन्हें 31 अक्टूबर 2015 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2009—2014 में उपबंधित अनुदान/छूट/रियायतें प्राप्त करने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।

2. नियत दिनांक के पश्चात् स्थापित होने वाले समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों एवं नियत दिनांक के पूर्व स्थापित/स्थापनाधीन औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों में स्थापित होने वाले उद्योगों को, जो नवीन भू—आबंटन प्राप्त करते है, वे छूट से संबंधित प्रकरणों में, छूट की अतिरिक्त एक वर्ष अवधि प्राप्त करने के पात्र होंगे।

3. **उपरोक्त छूट, निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन होगीः—**

3.1 औद्योगिक इकाई के साथ संचालित केप्टिव पॉवर प्लांट के मामले में, वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख के निर्धारण हेतु संस्थान को स्व—घोषित प्रमाण पत्र को ग्रिड कनेक्टीविटी के अनुसार राज्य के भार प्रेषण केन्द्र अथवा पीजीसीआईएल के क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र से अभिप्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।

3.2 औद्योगिक इकाई के साथ संचालित केप्टिव पॉवर प्लांट के मामले में छूट की पात्रता, ऑक्जलरी खपत तथा विद्युत नियम, 2005 में परिभाषित केप्टिव यूज में खपत की गई बिजली की यूनिटों के आधार पर देय होगी। तद्नुसार, संस्थान को केप्टिव पॉवर प्लांट से उत्पादित बिजली पर विद्युत शुल्क में भुगतान से छूट हेतु कंपनी को प्रत्येक माह के लिये पृथक–पृथक खपत का विवरण मीटर रीडिंग सहित प्रस्तुत करना होगा।

3.3 औद्योगिक इकाई के साथ संचालित केप्टिव पॉवर प्लांट के अतिरिक्त अन्य औद्योगिक इकाईयों के लिये वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख का निर्धारण वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र के आधार पर मान्य होगा।

3.4 विद्युत शुल्क भुगतान से छूट का आवेदन वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के अथवा अधिसूचना जारी होने के दिनांक, जो पश्चात्‌वर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

3.5 औद्योगिक नीति 2014–19 में विनिर्दिष्ट संतृप्त श्रेणी के उद्योगों, जो विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु पात्र नहीं है, की सूची, परिशिष्ट–1 में संलग्न है।

3.6 औद्योगिक नीति 2014–19 में विनिर्दिष्ट प्राथमिकता उद्योगों, जो विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु पात्र है, की सूची, परिशिष्ट–2 में संलग्न है।

3.7 औद्योगिक नीति 2014–19 में विनिर्दिष्ट कोर सेक्टर से संबंधित उद्योगों, जो विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु पात्र नहीं है, की सूची, परिशिष्ट–3 में संलग्न है।

3.8 औद्योगिक नीति 2014–19 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन को उन्हीं पात्र उद्योगों के लिये प्रभावशील रखा गया है जो नियोजन में अकुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय/प्रबंधकीय पदों के मामले में न्यूनतम 33 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये जाने की शर्त को पूरा करते हों। तद्नुसार उक्त शर्त के पालन की पुष्टि में, औद्योगिक इकाईयों को, नीति के खण्ड 44 के अनुपालन में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.9 नवीन उद्योग एवं विद्यमान उद्योग के परिसर में स्थापित उद्योगों के मामले में नवीन उद्योग की पात्रता का निर्धारण, औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–1 की पैरा 6.1 तथा 6.2 के अधीन शर्तो की पूर्ति तथा उद्योग संचालनालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर, किया जायेगा।

4. **आवेदनों का निपटारा तथा विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट देने की प्रक्रियाः–**

4.1 औद्योगिक नीति 2014–19 के अंतर्गत पात्र औद्योगिक इकाई को विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु, उद्योग विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें उद्योग में निवेश के आकार, उद्योगों की श्रेणी, निवेशक के वर्गीकरण, उद्योगों के नवीन होने, शवलीकरण, बेकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन आदि से संबंधित न होने, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक आदि के संबंध में जानकारी अंतर्विष्ट होंगे।

4.2 उद्योग आयुक्त/संचालक अथवा वाणिज्य विभाग द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, अनुशंसित आवेदन, जिसमें निवेशक का वर्गीकरण, इकाईयों की श्रेणी, उद्योग की स्थिति, निवेश की सीमा, वास्तविक निवेश, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख, विद्युत शुल्क में छूट की पात्रता अवधि के विवरण अंतर्विष्ट होंगे, मुख्य विद्युत निरीक्षक को प्रेषित किये जायेंगे।

4.3 औद्योगिक इकाई, औद्योगिक नीति 2014–19 में अनुबद्ध प्रावधानों के अनुपालन में, राज्य के मूल निवासियों के लिए निर्धारित प्रतिशत तक उन्हें (अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता की दशा में कुशल श्रमिकों का कम से कम न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा अधिकारी/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम 33 प्रतिशत) नियोजित करेगी तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से निर्धारित अवधि के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु आवेदन, छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए रोजगार के संबंध में, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र सहित आयुक्त, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को प्रस्तुत करेगा तत्पश्चात् आयुक्त वाणिज्य एवं उद्योग तथा जिला उद्योग केन्द्र अपनी अनुशंसा सहित आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 90 दिवस के भीतर मुख्य विद्युत निरीक्षक को प्रेषित करेगा। अपूर्ण अनुशंसित आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

4.4 मुख्य विद्युत निरीक्षकालय अनुशंसित आवेदन का परीक्षण करेगा तथा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिवस के भीतर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु ऊपर सारणी में दर्शायी गई कालावधि के लिए छूट प्रमाण पत्र जारी करेगा।

4.5 मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी प्रमाण–पत्र में अनुबद्ध किसी भी शर्त अथवा औद्योगिक नीति 2014–19 के प्रावधानों के उल्लंघन पाये जाने की दशा में, विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट की पात्रता निरस्त समझी जायेगी।

4.6 उपर्युक्त पैरा 4.5 में छूट हेतु पात्रता के रद्द किये जाने की दशा में, उद्योग को ब्याज सहित विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट के लाभ को राज्य कोषालय में ऐसी तारीख से जमा करना आवश्यक होगा जिससे उद्योग निर्योग्य हो गई हो। यदि उद्योग द्वारा ऐसे बकाये का भुगतान नहीं किया जाता है तो वह भू–राजस्व के बकाया के रुप में प्रभारित एवं वसूल की जायेगी।

4.7 विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट के लिये पात्रता के संबंध में कोई विवाद होने की स्थिति में, ऐसे विषय का निराकरण छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम, 1949 के नियम 13 के अधीन राज्य शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा और यह निर्णय, पक्षकारों पर अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

यह अधिसूचना दिनांक 01.11.2014 से प्रभावशील होगी तथा औद्योगिक नीति 2014–19 के अंतर्गत दिनांक 01.11.2014 से या उसके पश्चात् तथा 31.10.2019 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले नवीन उद्योगों पर लागू होगी।

सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
आवक क्र. 943
दिनांक 23/3/2016

S. No.
OSD Commerce & Industry
Date

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ओ0 पी0 यादव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग

पृ0 क्र0 1052 /एफ–21/07/2015/13/2/ऊवि नया रायपुर, दिनांक 18 MAR 2016

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, माननीय मुख्यमंत्री, भारसाधक मंत्री, ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, नया रायपुर
3. निज सहायक, माननीय संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा/वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी मर्यादित, डंगनिया, रायपुर
5. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
6. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
7. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
8. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
9. सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर

— सरल क्र0 1 से 9 की ओर सूचनार्थ।

10. सचिव, मुख्यमंत्री एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन,, मंत्रालय, नया रायपुर
11. मुख्य विद्युत निरीक्षकालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
12. प्रबंध संचालक, छ0रा0 विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, डंगनिया, रायपुर

——— सरल क्र0 10 से 12 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

13. संचालक, जनसंपर्क, छत्तीसगढ़ शासन, बैरन बाजार, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं प्रचार प्रसार हेतु।
14. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ शासन, नया रायपुर की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशन कर 300 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने के अनुरोध सहित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग

क्रमांक 582
वि.स./वाणिज्य व उद्योग वि.
दिनांक 26/3/16 201

OSD 26/3/16

परिशिष्ट–1

संतृप्त श्रेणी के उद्योगों की सूची (अपात्र उद्योगों की सूची)

(क) सम्पूर्ण राज्य हेतु संतृप्त उद्योगों की सूची–

1. पान मसाला, गुटखा, सुपारी एवं तंबाखू आधारित उद्योग
2. एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस
3. फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग
4. आरा मिल (सॉ मिल)
5. लेदर टैनरी
6. स्लाटर हाउस (बूचड़ खाना)
7. किसी उत्पाद की रि–पैकिंग
8. मिनरल वाटर
9. पॉलिथिन बेग (एच.डी.पी.ई. बेग्स को छोड़कर)
10. कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)
11. चूना निर्माण, चूना पाऊडर, चूना चिप्स, डोलोमाईट पाऊडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाऊडर
12. समस्त प्रकार के खनिज पदार्थो की क्रशिंग/ग्राईंडिंग एवं पलवराईजिंग
13. स्टोन क्रेशर/गिट्टी निर्माण
14. स्पंज आयरन
15. क्लिंकर
16. ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जाये।

(ख) औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों के लिये संतृप्त उद्योगों की सूची–

1. राईस मिल, पेडी परबायलिंग एवं मेकेनाइज्ड क्लीनिंग
2. हालर मिल
3. मुरमुरा मिल
4. राईस ब्रान पर आधारित साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट
5. खाद्य तेल की रिफाईनिंग (स्वतंत्र इकाई)/रिफाईनरी
6. मिनी सीमेंट प्लांट
7. ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जायें।

टीप– संतृप्त श्रेणी का उद्योग किसी अन्य श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में, सम्पूर्ण परियोजना में किये गये निवेश में से संतृप्त श्रेणी के उत्पाद में किये गये निवेश को कम कर शेष निवेश पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

परिशिष्ट–2

प्राथमिकता उद्योगों की सूची

(क) वर्गीकरण के आधार परः–

1. हर्बल, वनौषधि तथा लघु वनोपज पर आधारित उद्योग
2. आटोमोबाईल, आटो कंपोनेन्ट्स
3. साइकिल एवं साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स
4. प्लांट/मशीनरी/इंजीनियरिंग उत्पाद एवं इनके स्पेयर्स
5. नॉन फेरस मेटल पर आधारित डाउन स्ट्रीम उत्पाद
6. एल्युमिनियम पर आधारित डाउन स्ट्रीम उत्पाद
7. भारत सरकार द्वारा परिभाषित खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि पर आधारित उद्योग (राईस मिल, पेडी परबायलिंग एण्ड क्लीनिंग, हालर मिल, मुरमुरा मिल तथा राईस ब्रान साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट एवं खाद्य तेल की रिफाइनिंग (स्वतंत्र इकाई)/रिफाईनरी को छोड़कर)
8. ब्रांडेड डेयरी उत्पाद (मिल्क चिलिंग सहित)
9. फार्मास्यूटिकल उद्योग
10. एंटी स्नेक वेनम, एंटी रेबीज मेडीसिन का उत्पादन
11. व्हाईट गुडस, इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रीकल उपभोक्ता उत्पाद
12. सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग
13. जैव प्रौद्योगिकी एवं नैनो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाले उत्पाद
14. टेक्सटाईल उद्योग (स्पिनिंग, वीविंग, पावरलूम, फेब्रिक्स एवं अन्य प्रक्रिया)
15. रेल्वे, अंतरिक्ष, रक्षा संस्थानों/विभागों, दूरसंचार एवं विमानन कंपनियों को आपूर्ति किये जाने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स
16. नवीन एवं नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण के निर्माता
17. शक्ति उत्पादन, पारेषण एवं वितरण में लगने वाले मशीनरी एवं उपकरण
18. जेम्स एवं ज्वेलरी
19. मेडिकल एवं लेबोरेटरी इक्यूपमेंट
20. स्पोर्टस् गुड्स।
21. निजी क्षेत्र में विदेशी तकनीक से विदेशी कंपनी एवं भारतीय कंपनी के संयुक्त उपक्रम में स्थापित होने वाले उद्योग
22. कोयले से द्रव्य ईंधन /गैस/पेट्रोलियम उत्पाद
23. ऐसे अन्य वर्ग के उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाये।

टीपः– प्राथमिकता श्रेणी की पात्रता के लिए प्लांट एवं मशीनरी मद में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा या उससे अधिक का पूंजी निवेश करना आवश्यक होगा।

(ख) उत्पाद आधारित

1. एचडीपीई बैग्स एवं पाईप्स
2. मोल्डेड फर्नीचर, कंटेनर्स एवं पी0व्ही0सी0 पाईप्स एवं फिटिंग, हाऊस होल्ड प्लास्टिक के आयटम
3. ट्रान्समिशन लाइन टावर/मोबाईल टावर एवं उनके स्पेयर्स पार्टस/उपकरण
4. स्वचालित कृषि यंत्र, ट्रेक्टर आधारित एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटस/एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटस
5. बांस पर आधारित उद्योग (जिसमें बांस मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो तथा प्लांट एवं मशीनरी मद में रूपये 25 लाख से अधिक पूंजी निवेश हो)
6. लाख पर आधारित उद्योग (जिसमें लाख मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो तथा प्लांट एवं मशीनरी मद में रूपये 25 लाख से अधिक पूंजी निवेश हो)
7. फ्लाई ऐश उत्पाद (सीमेंट को छोड़कर)
8. रेडीमेट गारमेंन्टस (केवल अपेरल पार्क में स्थापित होने वाले)
9. सिंगल सुपर फास्फेट एवं समस्त प्रकार के फर्टीलाईजर्स
10. निर्यातक उद्योग एवं 100% निर्यातक उद्योग
11. वैगन कोच स्पेयर्स एवं फिटिंग
12. कटिंग टूल्स डाईज एवं फिक्चर्स
13. फर्शी पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग, ग्रेनाईट पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग मार्बल पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग एवं अन्य मिनरल राक की कटिंग एवं पॉलिशिंग तथा टाईल्स निर्माण
14. पोलिस्टर स्टेपल फाईबर
15. ग्रामीण उद्योग (ग्रामोद्योग) इकाईयां जैसे– पेन निर्माण, झालर निर्माण, अगरबत्ती, दोना पत्तल निर्माण, पशु आहार, साबुन एवं वॉशिंग पाऊडर, फिनाईल, स्कूल बैग, सी.एफ.एल. बल्ब, स्टील विण्डो/डोर/रोलिंग शटर्स एवं अन्य जिनमें प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम पूंजी निवेश रूपये 10 लाख हो।
16. सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री का उत्पादन (प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम पूंजी निवेश रूपये 10 लाख)
17. वूडन सिजनिंग एवं केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट (प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम पूंजी निवेश रूपये 25 लाख हो),
18. हेण्डपंप
19. सबमर्सिबल पंप
20. इलेक्ट्रिक मोटर
21. ग्रेन साइलो
22. प्रीफेब्रीकेटेड बिल्डिंग सामग्री
23. पेन्ट/डिस्टेम्पर
24. पोहा
25. नान प्लास्टिक बैग्स
26. ऐसे अन्य उत्पाद जो राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये जायें।

टीपः– प्राथमिकता श्रेणी की पात्रता के लिए प्लांट एवं मशीनरी मद में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा या उससे अधिक का पूंजी निवेश करना आवश्यक होगा।

परिशिष्ट–3

कोर सेक्टर की श्रेणी के अन्तर्गत निम्नलिखित मेगा/अल्ट्रामेगा प्रोजेक्टस कोर सेक्टर के उद्योग में आयेंगे, अर्थात् :–

1. स्टील संयंत्र
2. सीमेंट संयंत्र
3. ताप विद्युत संयंत्र
4. एल्युमिनियम संयंत्र

टीप:– कोर सेक्टर के उद्योगों को स्टाम्प शुल्क से छूट प्रवेश पर भुगतान से छूट एवं निःशक्तजन को रोजगार अनुदान की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त औद्योगिक नीति में प्रावधानित अन्य कोई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी।

परिशिष्ट–4

औद्योगिक निवेश के प्रोत्साहन हेतु औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों की सूची

स.क.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम
1.	रायपुर	धरसींवा, तिल्दा, अभनपुर
2.	बलौदाबाजार- भाटापारा	बलौदाबाजार, भाटापारा, सिमगा
3.	बिलासपुर	बिल्हा, कोटा, तखतपुर
4.	दुर्ग	धमधा, पाटन, दुर्ग
5.	राजनांदगांव	राजनांदगांव
6.	महासमुंद	महासमुंद
7.	धमतरी	धमतरी
8.	जांजगीर–चांपा	अकलतरा, चांपा (बम्हनीडीह), जांजगीर (नवागढ़), सक्ती, एवं बलोदा
9.	रायगढ़	रायगढ़, पुसौर, घरघोड़ा, तमनार, खरसिया
10.	कोरबा	कोरबा, कटघोरा

परिशिष्ट–5

औद्योगिक निवेश के प्रोत्साहन हेतु औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की सूची

स.क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम
1.	रायपुर	आरंग
2.	बलौदाबाजार–भाटापारा	कसडोल, बिलाईगढ़, पलारी
3.	बिलासपुर	गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही एवं मस्तुरी
4.	मुंगेली	मुंगेली, पथरिया, लोरमी
5	बालोद	बालोद,डौंडी, डौंडीलोहारा, गुण्डरदेही एवं गुरूर
6.	बेमेतरा	बेमेतरा, साजा, नवागढ़ एवं बेरला
7.	राजनांदगांव	अंबागढ़–चौकी, मानपुर, मोहला, छुरिया, छुईखदान, डोंगरगढ़, डोंगरगांव एवं खैरागढ़
8.	महासमुंद	बसना, पिथौरा, बागबाहरा एवं सराईपाली
9.	धमतरी	नगरी, मगरलोड, कुरूद
10.	जांजगीर–चांपा	मालखरौदा, जैजेपुर, डभरा एवं पामगढ़
11.	रायगढ़	धरमजयगढ़, बरमकेला, सारंगढ़ एवं लैलूंगा
12.	कोरबा	करतला, पोड़ी–उपरोड़ा एवं पाली
13.	गरियाबंद	गरियाबंद, मैनपुर, छुरा, देवभोग, फिंगेश्वर
14.	कबीरधाम	कवर्धा, पंडरिया, लोहारा एवं बोड़ला
15.	उत्तर बस्तर (कांकेर), दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), सुकमा, कोण्डागांव, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा एवं कोरिया	समस्त विकासखण्ड

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
ENERGY DEPARTMENT
MANTRALAYA
MAHANADI BHAWAN
NAYA RAIPUR

NOTIFICATION

Naya Raipur, dtd. 18 MAR 2016

No. F 21/07/2015/13/2/ED: Whereas, the State Government is of the opinion that to promote establishment of new industrial units in the State under the industrial policy 2014-19, it is necessary for the public interest that the new industries should be exempted from the payment of electricity duty;

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3-B of the Chhattisgarh Electricity Duty Act, 1949 (No. 10 of 1949) read with clause 15 of the Chhattisgarh Industrial Policy 2014-19, the State Government, hereby, gives exemption to eligible industries from the payment of electricity duty on electricity consumed by its own unit for the period mentioned in the table below from the date of commencement of commercial production to encourage industrial investment;

TABLE

(A) Micro, small, medium & large Industry (excluding saturated/ ineligible industries)

S. N.	Area	Category of Investors	General Industry	Priority Industry	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	In industrially developing areas as per industrial policy (see appendix 4)	A) General Category.	5 years	7 years	As per clause 3.9 of notification
		B)Scheduled caste/scheduled tribe category.	10 years	10 years	
		C)Women entrepreneur, retired soldier of the State from the Indian Armed Forces/Para Military Forces, person affected by naxalism/family, NRI, Foreign direct investor, exporting industries, investors starting projects with foreign technology.	6 years	8 years	

S. N.	Area	Category of Investors	General Industry	Priority Industry	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	In industrially backward areas as per industrial policy (see appendix 5)	General Category.	7 years	10 years	As per clause 3.9 of notification
		Scheduled caste/scheduled tribe category.	10 years	12 years	
		Women entrepreneur, retired soldier of the State from the Indian Armed Forces/Para Military Forces, person affected by naxalism/ family, NRI, Foreign direct investor, exporting industries, investors starting projects with foreign technology.	8 years	11years	

(B) Mega projects, ultra mega projects (excluding core sector and saturated category industry)

S. N.	Area	Category of Investors	General Industry	Priority Industry	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	In industrially developing areas as per industrial policy (see appendix 4)	A) General Category	8 years	8 years	As per clause 3.9 of notification
		B) Scheduled caste/scheduled tribe category	10 years	10 years	
		C) Women entrepreneurs, retired soldier of the State from the Indian Armed Forces/Para Military Forces, person affected by naxalism/family, NRI, Foreign direct investor, exporting industries, investors starting projects with foreign technology	9 years	9 years	

S. N.	Area	Category of Investors	General Industry	Priority Industry	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	In industrially backward areas as per industrial policy (see appendix 5)	A) General Category	10 years	10 years	As per clause 3.9 of notification
		B) Scheduled caste/scheduled tribe category	12 years	12 ear s	
		C) Women entrepreneurs, retired soldier of the State from the Indian Armed Forces/Para Military Forces, person affected by naxalism/family, NRI, Foreign direct investor, exporting industries, importing projects, industries with foreign technology	11 years	11 years	

Note:- Industries having Captive power generation plants will get electricity duty exemption only on captive consumption of power.

1. The micro, small, medium and large industrial units, mega projects and ultra –mega projects which before the appointed date 01/11/2014 possesses legitimate E.M. Part 1/IEM/ letter of intent/industrial licenses for establishment of industry or have executed MoU with the state government and the MoU is alive but could not start its production before 31st October 2014 i.e. expiry of Industrial Policy 2009-14, will have the option of availing subsidy/exemptions /concessions provided in the industrial policy 2009-14 on commencing production up to 31 October 2015

2. All industries which get fresh land allotment in industrial areas/parks to be established after the appointed day and in established industrial areas/industrial areas being established/ in industrial areas/parks, before the appointed day, in cases relating to exemption, will be eligible for the additional period of one year.

3. The above exemption shall be subject to the following conditions:-

3.1 The industrial unit which operates with a captive Power plant, has to submit self-declared certificates grid connectivity wise and attested by state load dispatch center or by regional load dispatch center of PGCIL for the determination of date of commercial production.

3.2 The eligibility for exemption for industrial unit which operates with a captive Power plant shall be based on auxiliary consumption and unit consumed for Captive use as defined in electricity rule 2005. Accordingly, for availing the exemption from payment of electricity duty on units generated in captive power plants, the company must submit details of consumption every month separately with meter readings.

3.3 The determination of the date of commercial production for industrial units which operates other than the captive Power plant would be based and validated on the certificate attested by the Department of Commerce and Industry.

3.4 Application for exemption from payment of electricity duty must be submitted within one year from the date of commencement of commercial production or issue of notification whichever is later.

3.5 The list of saturated category of industries specified in Industrial policy 2014-19 who are not eligible for exemption from the payment of electricity duty is attached in Appendix-1.

3.6 The list of priority industries specified in Industrial policy 2014-19 who are eligible for exemption from the payment of electricity duty is attached in Appendix-2.

3.7 The list of core sector related industries specified in Industrial Policy 2014-19 which are not eligible for exemption from the payment of electricity duty is attached in Appendix-3.

3.8 Industrial policy 2014-19 is to encourage industrial investment for those eligible industries who have put in effect a minimum of 90 percent of unskilled workers, skilled workers in the minimum 50 percent and in case of administrative / managerial positions minimum 33 percent of employment to the domicile of the state. Accordingly, the industrial unit must submit a certificate issued by the Competent Authority from Department of Commerce and Industry in compliance with clause 44 of the policy for the confirmation of the above condition.

3.9 In case of newly established industry and industries established in the premises of existing industry, eligibility of new industry will be determined by the fulfillment of the conditions stated in paragraph 6.1 and 6.2 of Appendix-1 of Industrial Policy 2014-19 and by the certificate issued from Directorate of Industry.

4. Settlement of applications and procedure for exemption from payment of electricity duty:-

4.1 The eligible industrial unit shall submit application duly certified by the competent authority of the Department of Industry having information regarding kind of investment industries, category of industries, classification of investors, industry being new, diversification, industry not related to backward integration and forward integration, date of commencement of commercial production etc. for availing the exemption from payment of electricity duty under Industrial Policy 2014-19.

4.2 Industrial Commissioner / Director or officer duly authorized by the Department of Commerce shall forward the application containing the details of the investor classification, classification of units, status of industry, investment limits, the actual investment, the date of commencement of commercial production, eligibility period for electrical duty exemption to the Chief Electrical Inspector.

4.3 In compliance with the provisions stipulated in the Industrial Policy 2014-19, the industrial unit shall employ a certain percentage to the state domicile(minimum 90 per cent of unskilled workers , in case of availability of skilled workers at least 50 percent of skilled workers and minimum 33 per cent in officer / administrative positions) and the application for exemption from payment of electricity duty for a period from date of commercial production along with certificate issued by competent authorities of Commerce and Industry Department regarding employment to the domicile of State of Chhattisgarh shall be submitted to Commissioner of Commerce and Industry. Thereafter, the Commissioner of Commerce and Industry and the District Industries Centre will forward it with the recommendations within 90 days from the date of receipt of the application to Chief Electrical Inspector. The applications with incomplete recommendations will not be considered.

4.4 The Chief Electrical Inspectorate shall examine recommended application and within 30 days from the date of receipt of the application an exemption certificate shall be issued for exemption from payment of electricity duty for the time period as indicated in the table above.

4.5 The eligibility for exemption from payment of electricity duty shall be deemed cancelled in case of violation of any condition stipulated in the certificate issued by the Chief Electrical Inspector or provisions of Industrial Policy 2014-19.

4.6 In case of cancellation of eligibility for exemption above in paragraph 4.5, the industry will be required to submit the benefit of an exemption from the payment of electricity duty with interest to the state treasury from such date on which the industry became ineligible. If the arrears are not paid by the industry, then it would be charged and recovered from arrears of land revenue.

4.7 In case of any dispute regarding eligibility for exemption from payment of electricity duty, the matter shall be resolved under Rule 13 of the Chhattisgarh Electricity Duty Rule, 1949 by authority authorized by State Government and the decision will be final and binding on the parties.

This notification will be effective from 1.11.2014 and shall be applicable to New Industrial units who have started commercial production on or after 01.11.2014 and up to 31.10.2019 under Industrial Policy 2014-2019.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

(O.P. Yadav)
Secretary
Government of Chhattisgarh
Energy Department

Endt. No.1052/F 21/07/2015/13/2/ED Naya Raipur, dtd. 18 MAR 2016

Copy to:-

1. PS, Hon'ble Chief Minister, Energy Deptt., Govt. of Chhattisgarh, Mantralaya, Naya Raipur.
2. PS, Hon'ble Minister, Govt. of CG, Commerce and Industry Department, Mantralaya, Naya Raipur
3. PS, Parliament Secretary, Govt. of CG, Energy/Commerce and Industry Department, Naya Raipur
4. Chairman, Chhattisgarh State Power Co. Ltd. Daganiya, Raipur.
5. The Joint Secretary, O/o Chief Secretary, Govt. of CG, Mantralaya, Naya Raipur.
6. Addl. Chief Secretary to CM, Govt. of CG, Mantralaya, Naya Raipur.
7. Principal Secretary, CM & Energy Deptt. Govt. of CG, Mantralaya, Naya Raipur.
8. Principal Secretary, Law Deptt., Govt. of CG, Mantralaya, Naya Raipur.
9. Secretary, Finance Deptt., Govt. of CG, Mantralaya, Naya Raipur.

---- from S.No. 1 to 9, for intimation please.

10. Secretary, CM & Commerce and Industry Deptt., Govt. of CG, Mantralaya, Naya Raipur.
11. Chief Electrical Inspector, Govt. of CG, Indravati Bhawan, Naya Raipur.
12. MD, Chhattisgarh State Power Distribution Co. Ltd., Danganiya, Raipur.

---- from S.No. 10 to 12, For intimation and necessary action please.

13. Director, Public Relation, Govt. of CG, Bayron Bazar, Raipur-for intimation and publication.
14. The Deputy Controller, Government Printing Press, Naya Raipur- for information with request to publish in the Gazette notification and 300 copies of the published gazette notification may please be made available to this department.

Secretary
Government of Chhattisgarh
Energy Department

APPENDIX-1

List of Saturated Category industries (List of ineligible Industries)

(a) List of saturated industries for the entire state –

1. Pan Masala, Gutkha, Supari and tobacco based industries
2. Alcohol, Distillery and alcohol based beverages
3. Crackers, Matchbox and industries related to Fireworks
4. Saw mill
5. Leather tannery
6. Slaughter house
7. Re-packing of any product
8. Mineral water
9. Polythene Bag (excluding HDPE bags)
10. Coal and Coke briquette, coal screening (excluding coal washery)
11. Manufacturing of Lime, Lime powder, Lime chips, Dolomite powder and all types of mineral powder
12. Crushing, grinding and pulverizing of all type of mineral materials
13. Stone crusher / manufacturing of Ballast (gitti)
14. Sponge Iron
15. Clinker
16. Such other industries which may be notified by the State Government

(b) List of saturated industries for industrially developing areas-

1. Rice Mill, Paddy parboiling and mechanised cleaning
2. Huller mill
3. Murmura Mill
4. Solvent Extraction Plant based on Rice bran
5. Refining of edible oil (independent unit)/refinery
6. Mini Cement Plant
7. Such other industries which may be notified by the State Government.

Note- In case of establishment of industry of saturated category along with industry of any other category, the eligibility under industrial investment promotion shall be decided by way of deducing the investment made on saturated category product from the investment of entire project.

APPENDIX - 2

List of Priority Industries

(a) On the basis of Classification:-

1. Industries based on Herbal, Forest medicine and Minor Forest produce
2. Automobile, Auto components
3. Cycle and product/accessories/spares used for manufacturing of cycle
4. Plant/machineries/engineering products and its spares
5. Downstream product based on non-ferrous metal
6. Downstream product based on Aluminium
7. Industries based on food processing and Agriculture as defined by Govt. of India (Except Rice mill, Paddy parboiling and cleaning, Huller mill, Murmura Mill and Rice Bran Solvent Extraction Plant and Refining of edible oil (Independent unit)/refinery)
8. Branded dairy product (Including milk chilling)
9. Pharmaceutical industry
10. Production of Anti-snake venom, Anti-rabies medicine
11. White goods, electronic and electrical consumer goods
12. Information Technology and Information Technology supported service industry
13. Product covered under Bio-Technology and Nano-Technology.
14. Textile Industry (Spinning, Weaving, Power loom, Fabrics & other process)
15. Product/equipment/spares for the supply to Railway, Space, Defence institutions/Departments, Telecom and, Aviation companies.
16. Plant, Machinery & equipment required for the generation of power from new and renewable sources.
17. Machinery and equipment required for generation, transmission and distribution of power.
18. Gems and jewellery
19. Medical and Laboratory equipment

20. Sports goods
21. Industries established in the private sector by foreign technology as joint ventures of Foreign Company and Indian Company.
22. Production of liquid fuel/gas/petroleum product from coal
23. Such other category Industries which may be notified by the State Government from time to time.

NOTE: - For eligibility in priority sector it is mandatory to invest on account of Plant & Machinery up to minimum limit fixed or more, by the State Government, Department of Commerce & Industries.

(b) Product based

1. HDPE Bags & Pipes
2. Moulded furniture, containers and PVC pipes and fitting, household plastic item.
3. Transmission line tower/mobile tower and their spare parts/equipment
4. Automatic agriculture machine, tractor based agriculture implements/ agriculture implements
5. Bamboo based industry (Wherein Bamboo has to be used as the main raw material and investment on account of plant & machinery, more than Rs. 25 Lakh)
6. Shellac based industry (Wherein Shellac has to be used as the main raw material and investment more than Rs. 25 Lakh on account of plant & machinery.)
7. Fly Ash product (except cement)
8. Readymade garments (Established only in Apparel Park)
9. Single Super Phosphate & all types of fertilizers
10. Export industry and 100 % export industry
11. Wagon coach spares and fitting.
12. Cutting tools, dies and fixtures
13. Cutting and polishing of Flooring Stone, cutting and polishing of Granite Stone, cutting and polishing of Marble Stone and

cutting and polishing of other Mineral Rocks and production of Tiles

14. Polyester staple fibre
15. Village industry (Gramodyog) units like - Pen manufacturing, Jhalar manufacturing, Incense stick, Dona leaf plate manufacturing, Animal feed, Soap and Washing powder, Phenyl, School bag, CFL Bulb, Steel window/door/ rolling shutters and other Industries with a minimum investment of Rs. 10 Lakh on account of plant and machinery.
16. Production of cosmetics items (with a minimum investment of Rs. 10 Lakh on account of plant and machinery)
17. Wooden Seasoning and Chemical Treatment Plant (with a minimum investment of Rs. 25 Lakh in plant and machinery).
18. Hand pump
19. Submersible pump
20. Electric motor
21. Grain silo
22. Prefabricated building material
23. Paint/Distemper
24. Poha
25. Non plastic bags
26. Such other products which may be notified by the state government from time to time.

Note:- For eligibility in priority sector it is mandatory to make investment on account of Plant & Machinery up to minimum limit fixed or more, by the State Government, Department of Commerce & Industries.

APPENDIX-3

Industries of Core Sector following mega/ultra-mega projects shall come under core sector category namely:-

1. Steel Plant
2. Cement Plant
3. Thermal Power Plant
4. Aluminium Plant

Note:- Core sector industries are eligible for exemptions on stamp duty, exemptions on entry tax, and handicapped (disabled) person employment subsidy. They are not eligible for any other industrial investment promotion mentioned in this Industrial Policy.

APPENDIX-4

List of Industrially Developing Areas for Promotion of Industrial Investment.

S. No.	Name of District	Name of Development Block
1	Raipur	Dharsiwa, Tilda, Abhanpur
2	Balodabazar-Bhatapara	Balodabazar, Bhatapara, Simga
3	Bilaspur	Belha, Kota, Takhatpur
4	Durg	Dhamdha, Patan, Durg
5	Rajnandgaon	Rajnandgaon
6	Mahasamund,	Mahasamund
7	Dhamtari	Dhamtari
8	Janjgir-Champa	Akaltara, Champa (Bamhanideeh), Janjgir (Navagarh), Sakti and Baloda
9	Raigarh,	Raigarh, Pusour, Gharghoda, Tamnaar, Kharsiya
10	Korba	Korba, Katghora

APPENDIX-5

List of Industrially Backward Areas for Promotion of Industrial Investment

S.No.	Name of District	Name of Development Block
1	Raipur	Aarang
2	Balodabazar-Bhatapara	Kasdol, Bilaigarh, Palari
3	Bilaspur	Gaurela, Pendra, Marwahi and Masturi
4	Mungeli	Mungeli, Pathariya, Lormi
5	Balod	Balod, Daundi, Dondi-Lohara, Gunderdehi & Gurur
6	Bemetara	Bemetra, Saja, Navagarh & Berala
7	Rajnandgaon	Ambagarh-Chowki, Maanpur, Mohla, Chhuriya, Chhuikhadan, Dongargarh, Dongargaon & Khairagarh
8	Mahasamund	Basana, Pithora, Bagbahara & Saraipali
9	Dhamtari	- Nagari, Magarlod & Kurud
10	Janjgir-Champa	Malkharoda, Jaijaipur, Dabhara & Pamgarh
11	Raigarh	Dharamjaigarh, Baramkela, Sarangarh & Lailunga
12	Korba	Kartala, Podi-Uproda & Pali
13	Gariyaband	Gariyaband, Mainpur, Chhura, Devbhog, Fingeshwar
14	Kabirdham-	Kawardha, Pandariya, Lohara & Bodala
15	North Bastar (Kanker), South Bastar (Dantewada), Sukma, Kondagaon, Narayanpur, Bijapur, Bastar, Jashpur, Balrampur, Surajpur, Sarguja & Koriya.	All Development Blocks